

कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
6वीं मंजिल, सतपुडा भवन, भोपाल (म0प्र0)

ई-मेल: dme12001@yahoo.com

वेबसाईट : www.medicaleducation.mp.gov.in

दूरभाष क्र0 0755-2551719

फैक्स : 0755-2578844

क्रमांक 700-35/स्था/राज/2018

भोपाल दिनांक 11/04/18

प्रति,


1. अधिष्ठाता,
चिकित्सा महाविद्यालय,
भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर ।
2. प्रभारी अधिष्ठाता
चिकित्सा महाविद्यालय,
दतिया, छिंदवाडा, शहडोल, रतलाम शिवपुरी, विदिशा, खण्डवा ।
3. प्राचार्य,
दन्त महाविद्यालय,
इंदौर
4. संचालक,
मानसिक आरोग्यशाला,
ग्वालियर ।

विषय:- "मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयीन शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018" में आवश्यक संशोधन ।

.....

"मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयीन शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018" एवं अनुसूची चार में संशोधन मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में आयोजित वरिष्ठ सचिव समिति की बैठक दिनांक 16.03.2018 में अनुमोदन किया गया । (छायाप्रति संलग्न है।)

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।


संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

मध्य प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक / 1 / 55 / 2018,

भोपाल, दिनांक / 03 / 2018

- मध्यप्रदेश शासन एतद्वारा राज्य शासन द्वारा स्थापित स्वशासी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में शैक्षणिक संवर्ग के लिए जारी मध्य प्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयीन शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम, 2018 एवं अनुसूची-चार में निम्नानुसार संशोधन करता है:-

नियम-6 रिक्त पदों पर नियुक्ति :-

नियम 6 (3) के नीचे निम्नानुसार नियम 6 (4) जोड़ा जाता है :-

नियम-6 (4) - मुख्य कार्यपालन अधिकारी के चयन हेतु चयन समिति संभागायुक्त की अध्यक्षता में होगी जिसमें संभागायुक्त द्वारा मनोनीत एक सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षक, संचालक चिकित्सा शिक्षा, सदस्य एवं स्थापना प्रभारी सदस्य सचिव रहेंगे।

अनुसूची-चार का संशोधन

शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय,

अनुसूची -चार
(नियम 6.3 देखिए)

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जावेगी	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जायेगी	कॉलम (2) में दर्शित किए गए पद पर न्यूनतम अर्हता एवं अनुभव पदोन्नति के लिए	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य
1	2	3	4	5
चिकित्सा शिक्षा विभाग (शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय)	प्राध्यापक/अधीक्षक अध्यापन चिकित्सालय	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (अधिष्ठाता)	भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (MCI) के प्रचलित मापदण्डों के अनुसार अर्हता अर्जित करना ।	<ol style="list-style-type: none"> 1. संभागायुक्त - अध्यक्ष 2. संभागायुक्त द्वारा मनोनीत एक सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षक - सदस्य 3. संचालक चिकित्सा शिक्षा- सदस्य 4. स्थापना प्रभारी- सदस्य सचिव
	सह प्राध्यापक	प्राध्यापक		
	सहायक प्राध्यापक	सह प्राध्यापक		
	ट्यूटर/प्रदर्शक	सहायक प्राध्यापक		
शासकीय स्वशासी दन्त चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर	प्राध्यापक	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (प्राचार्य)	भारतीय दन्त परिषद् (DCI) के प्रचलित मापदण्डों के अनुसार अर्हता अर्जित करना ।	<ol style="list-style-type: none"> 1. संभागायुक्त - अध्यक्ष 2. संभागायुक्त द्वारा मनोनीत एक सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षक - सदस्य 3. संचालक चिकित्सा शिक्षा- सदस्य 4. स्थापना प्रभारी- सदस्य सचिव
	सह प्राध्यापक	प्राध्यापक		
	सहायक प्राध्यापक	सह प्राध्यापक		
	ट्यूटर/प्रदर्शक	सहायक प्राध्यापक		